फाइल सं. ए.12018/03/2021-कुष्ठ
भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
(सीसीडी अनुभाग)

विषय - केन्द्रीय कुष्ठ रोग शिक्षण और अनुसंधान संस्थान (सीएलटीआरआई), चेंगलपट्टु में परिचारक (एम सी आर यूनिट) समूह 'ग' के पद के लिए भर्ती नियमों में संशोधन पर सार्वजनिक नोटिस के संबध में।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिंनाक 13.10.2015 के का.ज्ञा.सं एबी. 14017/61/2008-स्था.(आरआर) के अनुपालन में, केन्द्रीय कुष्ठ रोग शिक्षण और अनुसंधान संस्थान (सीएलटीआरआई), चेंगलपट्टु में परिचारक (एम सी आर यूनिट) समूह 'ग' के पद के लिए भर्ती नियमों का मसौदा संलग्न है।

2. भर्ती नियमों के मसौदे पर कोई आपत्तियां/टिप्पणियां या सुझाव देने वाले इच्छुक हितधारक मसौदा भर्ती नियमों के प्रकाशन की तारिख से 30 दिनों की अवधि के भीतर लिखित रुप में अपनी आपत्तियां/टिप्पणियां या सुझाव, श्री मनोज कुमार उपाध्याय, अवर सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, कमरा सं, 401- डी, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110011 या ई-मेल पर भेज सकते है। manojkumar.upadhyay29@gov.in

मनोज 2/12/22
(मनोज कुमार उपाध्याय)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष 23061640

नई दिल्ली
दिनांक 2/12/22

[भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, तारीख: 2022

अधिसूचना

सा.का.नि. . . . -राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, (भंडार परिचारक और परिचारक (एम सी आर)भर्ती नियम, 1988 को, जहां तक उनका संबंध परिचारक के पद (एम सी आर यूनिट) से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है,स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु में परिचारक (एम सी आर यूनिट) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु, परिचारक (एम सी आर यूनिट) (समूह 'ग' पद)भर्ती नियम, 2022 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मेट्रिक्स में स्तर -** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मेट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के स्तम्भ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा,अर्हताएं आदि-** भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उक्त पद से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता**- वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यह कि यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह,ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति**: जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन हैं, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति:** इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मेट्रिक्स में लेवल	चयन या अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
परिचारक (एम सी आर यूनिट)	01*(2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मेट्रिक्स में स्तर-1 (18000-56900 रुपये)	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(6)	(7)	(8)	(9)
18 से 25 वर्ष की आयु के बीच। (जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सामान्य वर्ग विभागीय उम्मीदवारों के लिए चालीस वर्ष और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के मामलें में पैंतालिस वर्ष की आयु तक शिथिल की जा सकती है)। **टिप्पणी 1**: आयु-सीमा का निर्धारण अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, लद्दाख, अदंमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है। **टिप्पणी 2:** रोजगार कार्यालय के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक	अनिवार्य: 1. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा पास। 2. किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से फुटवियर डिजाइन और प्रॉडक्शन (सीएफडीपी) में प्रमाण-पत्र। **नोट 1:** अर्हताओं में उच्च अर्हताएं प्राप्त उम्मीदवारों के मामले में सक्षम प्राधिकारी के दिशानिर्देशों पर छूट दी जा सकती है। **नोट 2**: अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अभाव रखने वाले उन समुदायों	लागू नहीं होता ।	दो वर्ष

अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है ।	के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है ।		
भर्ती की पद्धति:भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न/ पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	**प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा**	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना**	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ जन सेवा आयोग से परामर्श करना अपेक्षित है**
(10)	(11)	(12)	(13)
सीधी भर्ती द्वारा नोट: प्रतिनियुक्ति पर पदधारी के दूर रहने या लंबी बीमारी या अध्ययन अवकाश या अन्य परिस्थितियों के कारण उत्पन्न रिक्ति, प्रतिनियुक्ति के आधार पर केन्द्र सरकार के अधिकारियों द्वारा एक वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए भरा जा सकता है; (क) नियमित आधार पर सदृश पद धारण करना और (ख) स्तम्भ (7) के तहत सीधी भर्ती के लिए निर्धारित अर्हताएँ और अनुभव रखता हो।	लागू नहीं होता	समूह 'ग' विभागीय स्थायीकरण समिति (स्थायी करने पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित शामिल है:- 1.अपर निदेशक (नैदानिक), केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टू - अध्यक्ष; 2.सहायक निदेशक (शल्य चिकित्सा), केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टू - सदस्य; 3. सहायक नर्सिंग अधीक्षक, केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टू - सदस्य; 4. क्षेत्र में किसी अन्य राज्य सरकार या केन्द्र सरकार के कार्यालय से एक राजपत्रित अधिकारी - सदस्य।	लागू नहीं होता

(फा. सं. ए.12018/03/2021-एलईपी)

(मनोज कुमार उपाध्याय)
अवर सचिव, भारत सरकार